

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम मुकेश कुमार पुत्र मोहनलाल कुमावतनिवासी कुचामनसिटी रामूराम पुत्र सुवाराम मेघवाल नि. हनुमानपुरा

प्रा.पत्र नम्बर 660/2021

GCMS No.2021/741

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज


नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख में
जारी हुए

29/12/2021

वकील अप्रार्थी रामूराम पुत्र सुवाराम मेघवाल हनुमानपुरा के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। अप्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम सरगोठ के खसरा नम्बर 1584/168 में अन्य सहखातेदारान के साथ संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि आई हुई है तथा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण प्रस्तुत किया है, उपरोक्त खसरान की भूमि को कृषि से गैर कृषि उपयोग हेतु रूपान्तरण किये बिना उपयोग में लिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अप्रार्थी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में दर्ज होकर अप्रार्थी के विरुद्ध एक-पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। उपरोक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा कृषि भूमि को अकृषि उपयोग में लिये जाने से पूर्व निर्धारित रीति अनुसार प्राधिकारी अधिकारी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका कुचामनसिटी यहाँ से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 -क के तहत रूपान्तरित करवा ली है जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा होने से आगे की कार्यवाही नहीं हो पा रही है, इसलिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभय पक्षकार एवं प्रार्थी राजकीय पैरोकार उपस्थित आये, जिन्हे सुना गया। दोनो पक्षों ने अपन-अपने पक्ष में तर्क दिये। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं संपरिर्वन आदेश का अवलोकन करने पर पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.11.2021 एवं प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

